यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उद्यम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन" यमुना कालोनी, देहरादून–248 001, दूरभाष–0135–2531975/2530909 फैक्स सं0 0135–2531646
Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun-248 001,Phone-0135-2531975/2530909, Fax-0135-2531646
CIN No. 40101UR2001SGC025866
ISO 9001:2008 Certified

पत्रांक 8288/यूजेवीएनएल/एचआरडी   दिनांकः 28.11.16

विषयः– यूजेवीएन लिमिटेड में अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)(सिविल) के पद पर (वेतन बैंड रू0 9300– 34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) पर नियुक्ति।

Regd/Speed Post

In Duplicate

GEN-FF

SH. DEEPAK NEGI (220779)
S/O SH. SOVAN SINGH NEGI
H.No.-417, Tea Estate, Banjarawala,
Dehradun, U.K. PIN-248001

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2015 व दिनांक 24.01.2016 को आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एतदद्वारा यूजेवीएन लिमिटेड में अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (सिविल) हेतु आपकी नियुक्ति (वेतन बैंड रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) में निम्न सेवा शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन की जाती है:–

1– उपरोक्त वेतन बैण्ड में आपको प्रारम्भिक मूल वेतन रू0 12540/– (ग्रेड वेतन रू0 4600/–) प्रति माह देय होगा। मूल वेतन (प्रारम्भिक मूल वेतन + ग्रेड वेतन) के अतिरिक्त आपको लागू दरों पर महंगाई भत्ता एवं यूजेवीएन लिमिटेड में समय–समय पर आपके उपरोक्त पद पर लागू /स्वीकृत अन्य भत्ते भी नियमानुसार देय होंगे।

2– अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (सिविल) के रुप में आपकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना व बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती हैं।

3– अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (सिविल) के रुप में आपकी प्रशिक्षण अवधि 12 (बारह) माह की होगी जिसके दौरान आपकी क्षमता (Performance) का नियमित आंकलन/समीक्षा आपके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसके आधार पर आपका प्रशिक्षण बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है या प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपका प्रशिक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा जिसके लिये समय समय पर निर्देश जारी किये जायेंगे जिनका आपको पालन करना होगा।

4– उपरोक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त आपकी नियमित संवर्ग में नियुक्ति हेतु एवं उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आपको निर्धारित अन्तिम लिखित तथा/अथवा मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। यदि आप अन्तिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपका प्रशिक्षण अधिकतम 2 वर्षो की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है जो कि आपके प्रशिक्षण के प्रथम दिवस से आंकलित किया जायेगा एवं बढ़े हुए प्रशिक्षण की अवधि में आपको एक अवसर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रदान किया जायेगा। परन्तु यदि आप द्वितीय परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं अथवा किसी कारणवश द्वितीय परीक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी नियुक्ति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

5– प्रशिक्षण काल में आपको अपरिहार्य कारणों से ही नियमानुसार देय आकस्मिक व चिकित्सा अवकाश प्रदान किया जा सकेगा तथा लम्बी अवधि के अवकाश उपभोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके अतिरिक्त अध्ययन/उच्च शिक्षा/वाह्य विभागों में नियुक्ति हेतु भी अनुमति/अनापत्ति प्रदान नहीं की जायेगी।

क्रमशः पेज 2 पर

Created with cam scan